रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935
No. 545] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

का.आ. 637(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन इसमें निहित शक्तियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किए गए सभी राज्य और संघराज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात प्राधिकरणों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण कहा गया है) को उक्त प्राधिकरणों द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर परियोजनाओ या क्रिया कलापों को जारी पर्यावरण अनापत्तियों की शर्तों के अतिक्रमण की दशा में परियोजना प्रस्तावकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा इस शर्त के अधीन कि केंद्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकेगी या उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को स्वयं अवलंब ले सकेगी, यदि केंद्रीय सरकार की राय में लोक हित में ऐसी कार्यवाही आवश्यक है, यदि अपेक्षित हो तो अतिक्रमणों के लिए उक्त परियोजना प्रस्तावकों को ऐसी पर्यावरण अनापत्तियों को उन्हें प्रास्थगित रखने या वापस लिए जाने हेतु निदेश जारी करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन करती है।

[सं. जे-11013/2/2013-आई ए (आई)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

S.O. 637(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the powers vested in it under section 5 of the said Act to all the State and Union Territory Environment Impact Assessment Authorities (Hereinafter referred to as the said Authorities) constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986, to issue show cause notice to project proponents in case of violation of the conditions of the envioronment clearances issued by the said Authorities to projects or activities within their jurisdiction and to issue directions to the said project proponents for keeping such environment clearances in abeyance or withdrawing them, if required, for violations, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegations of powers or may itself invoke the provisions of section 5 of the said Act, if in the opinion of the Central Government such a Course of action is necessary in the public interest.

[No. J-11013/2/2013-IA. (I)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

का.आ. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त की धारा के प्रयोजन के लिए इससे उपाबद्ध उस सारणी के स्तंभ (3) में उनमे से प्रत्येक के सामने उल्लिखित अधिकारिता के साथ उस सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्राधिकरण या अधिकारी को प्रातिकृत करती है:

सारणी

क्रम संख्यांक	प्राधिकरण/अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.)	संपूर्ण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र
2.	पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) के किन्हीं प्रादेशिक कार्यालयों में तैनात कोई निदेशक, वन संरक्षक या अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा यथा-विनिश्चित प्रादेशिक कार्यालय की अधिकारिता

[सं. जे-11013/2/2013-आई ए (आई)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

S.O. 638(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby authorises the Authority or officer mentioned in column (2) of the Table hereto for the purpose of the said section with the jurisdiction mentioned against each of them in column (3) of that Table:

TABLE

S. No.	Authority/Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	State or Union Territory level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.	Whole of State or Union Territory
2.	Any Director, Conservator of Forests or Additional Principal Chief Conservator of Forests Posted in any of the Regional Offices of the Ministry of Environment and Forests (MoEF).	Jurisdiction of the Regional Office as decided by the Ministry of Environment and Forests

[No. J-11013/2/2013-IA. (I)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.